CNR No. UPME010087212026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार –I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–2969/2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2399/2026

बोबी उर्फ सन्नी पुत्र भूपेन्द्र, निवासी जवाहरनगर, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–300/2026

अन्तर्गत धारा–306, 317(2), 61(2) बी०एन०एस०

थाना–टी०पी० नगर, जिला मेरठ।

दिनांक 11.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त बोबी उर्फ सन्नी पुत्र भूपेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–300/2026, अन्तर्गत धारा– 306, 317(2), 61(2) बी०एन०एस०, थाना– टी०पी० नगर, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है। आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार के रूप में श्रीमती कुसुम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2026 को प्रार्थी के घर से उसकी पुत्रवधु डा० सृष्टि की सोने की चैन, पैन्डिल सहित चोरी हो गयी है। प्रार्थी के घर मे जो महिला काम करने आती है जिसका नाम रामबेटी है और उसकी बेटी जो की उस दिन उसके साथ आयी थी जिसका नाम प्रीति है, व उसके दोस्त शिवम पर शक है। उक्त फर्द के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त समाज का सम्मानित व्यक्ति है तथा कानून का पालन करने वाला है। उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 6 दिन की देरी से दर्ज करायी गयी है और देरी का कोई कारण नही बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नही है। उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा रामबेटी, प्रीति व शिवम के द्वारा चोरी करना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में सह–अभियुक्तो के बयान के आधार पर अ०धारा 61 (2) बी०एन०एस० का अपराधी बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार की कोई चोरी नही की है ना ही प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई बरामदगी हुई है। जो भी बरामदगी दर्शायी गयी है वे फर्जी व झूठी है। प्रार्थी/अभियुक्त मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दिनांक 30.05.2026 को जब प्रार्थी/अभियुक्त मजदूरी करके अपने घर वापस आया तो थाना हाजा की

पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को यह कहकर थाने लेकर गयी कि तुम्हारे रिश्तेदार ने चोरी की है इस बारे में पूछताछ करनी है, परन्तु बाद में थाना पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त को छोडने की ऐवज में 50,000/– रूपये की नाजायज मांग की और मांग पूरी न करने में प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त केस में झूठा चालान कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध जनता का कोई स्वतन्त्र गवाह नही है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त केस में दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है। उक्त परिस्थिति में प्रार्थी को जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नही है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लिपिक अथवा सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी सम्पत्ति को चोरी करने का आरोप नही है। उपरोक्त मामले के सह–अभियुक्तगण द्वारा सम्बंधित विवेचक को दिये गये अपने जुर्म इकबालिये में आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। प्रार्थी के अनुसार सोने की चैन व पैन्डिल चोरी होने के आरोप है। आवेदक/अभियुक्त से मात्र 8,170/– रूपये की बरामदगी दर्शायी गयी है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है व अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

उपरोक्त मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा बिना गुण–दोष पर विचार किए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त बोबी उर्फ सन्नी पुत्र भूपेन्द्र की ओर से मुकदमा अपराध संख्या – 300/2026, अन्तर्गत धारा– 306, 317(2), 61(2) बी०एन०एस०, थाना– टी०पी० नगर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को अंकन 25,000/– रूपये (पचीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू माननीय न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है।

1) आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को ना तो डरायेगा व घमकायेगा और ना ही गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव डालेगा।

2) आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के उपरान्त विवेचना में विवेचक द्वारा सहयोग करेगा। पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3) आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की पूर्वानुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

4) इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाये।

दिनांकः 11.06.2026

(अजय कुमार –I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
(V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.06.11 17:23:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut